न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामहेत गुर्जर(मैनेजर)
मैसर्सः— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा।
2. श्री धारा सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर (खाद्यकारोबारकर्ता)
मैसर्सः— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 30.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 8.11.2023 को प्रातः 08:50 बजे मैसर्स दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्री ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामहेत गुर्जर उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मैनेजर होना बताया। श्री ओमप्रकाश गुर्जर को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक स्टील के चिलर में लगभग 2400 लीटर मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** खरीदा। जिसकी कीमत 110 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** को नाप से तौलकर 500—500 एमएल चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एवं चारो बोतलों में 40—40 बून्द फार्मलीन की डालकर चारो बोतलों को ढक्कन लगाकर बन्द किया। उक्त चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG–3943** गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:4[illegible] IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद भाग व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं ने दिनांक 08.11.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 08.11.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 08.11.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4872/एक्ट/2023/4552 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार अमानक **(SubStandard)** स्तर का व **section 3(1)(i)** के अन्तर्गत **Extraneous matter** का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण नियत तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित आये व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर मौखिक रूप से बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4872/एक्ट/2023/4552 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** के नमूने में बाहरी वसा युक्त पदार्थ **(Foreign Fat present)** होने के कारण उक्त नमूने का फैटी एसिड प्रोफाइल घी/मिल्क फैट के फैटी एसिड प्रोफाइल से मेल नहीं खाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का व **section 3(1)(i)** के अन्तर्गत **Extraneous matter** का पाया गया है। इसके साथ ही अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना लेते समय एवं बाद में खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन भी प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** का बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51, 54 व 63 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** में किसी प्रकार की बाहरी मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा विभिन्न पशुपालको से दूध क्रय किया जाकर दूध को एक जगह एकत्रित कर ग्राहको को विक्रय किया जाता है। जांच रिपोर्ट में उक्त दूध के नमूने में बाहरी वसा युक्त पदार्थ **(Foreign Fat present)** होने के कारण यह नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। जिसके बारे में अप्रार्थीगण को भी जानकारी नहीं है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4872/एक्ट/2023/4552 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** के नमूने में बाहरी वसा युक्त पदार्थ **(Foreign Fat present)** होने एवं खाद्य पदार्थ **section 3(1)(i)** के अन्तर्गत **Extraneous matter** का होने के कारण यह नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** का विक्रय कर एफएसएसए धारा 26 की उप धारा **(II)** तथा धारा **3(1)(i)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51, 54 व 63 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:23:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 30/2024 FSSA

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला **(Mixed Milk Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामहेत गुर्जर(मैनेजर) मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री धारा सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर (खाद्यकारोबारकर्ता) मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा पर 300000/–रूपये (अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 30.04.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– 30.04.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामहेत गुर्जर(मैनेजर)
   मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा।
4. श्री धारा सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर (खाद्यकारोबारकर्ता)
   मैसर्सः– दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रलावता, तहसील बसवा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:23:40 IST
Reason: SelfAttested